न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2023(GCMS 2023/87)
(आरटीआई संख्या 212366580896268)

श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री लाधुराम शर्मा निवासी मकान नं. 3, वार्ड नं. 15, पुरानी आबादी पुलिया, थानी के पीछे, श्रीगंगानगर–335001 मोबाईल नम्बर 94143–05448

बनाम

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2023 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की **सूचना चाही थी** :

> यह कि जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर की न्याय शाखा द्वारा शस्त्रों के अनुज्ञापत्र का ओल्ड ऐज/मृतक प्रकरण (Old Age/Died Claim) में शस्त्र अनुज्ञा पत्र अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक कितने क्लेम प्राप्त हुए एवं कितने निस्तारित किये गये व कितने लम्बित है कि प्रमाणित प्रतिलिपी सूचना के अधिकार की मोहर सहित विवरण (सूचना) उपलब्ध [illegible] की श्रम करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/23/551 [illegible] 2023, 98/16.01.24, [illegible]/15.05.24, 1619/13.11.24, 1859/11.12.24 एवं 3[illegible]/25.02.25 से लिखे [illegible] के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है, उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, द्वारा बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में **अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा** अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर **को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अध्किारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर